न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पील संख्या : 17 / 159

1. रामदयाली बाई बेवा रविन्द्र कुमार जाति नाथ ।
2. जितेन्द्र कुमार आत्मज श्री रविन्द्र कुमार जाति नाथ ।
3. नरेन्द्र आत्मज श्री रविन्द्र कुमार जाति नाथ ।
4. रेखा पुत्री श्री रविन्द्र कुमार जाति नाथ ।
5. तारा पुत्री श्री रविन्द्र कुमार जाति नाथ ।
6. अनिता पुत्री श्री रविन्द्र कुमार जाति नाथ निवासीगण छावनी रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. केसर बाई बेवा खेमराज जाति नाथ (नाम तर्क) ।
2. दुर्गेश पुत्री खेमराज जाति नाथ ।
3. हेमलता पुत्री खेमराज जाति नाथ ।
4. शांति बाई बेवा जगन्नाथ जाति नाथ ।
5. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ जी जाति नाथ ।
6. हेमराज आत्मज स्वर्गीय जगन्नाथ जाति नाथ ।
7. पार्वती पुत्री स्व0 जगन्नाथ जी जाति नाथ ।
8. मोहन लाल आत्मज रामनारायण जाति नाथ निवासीगण छावनी रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. नन्द जी आत्मज नाथू जी जाति माली ।
10. शिवपाल आत्मज कान्हा जी जाति माली ।
11. हरिओम आत्मज छीतर जी जाति माली ।
12. ओम प्रकाश आत्मज गुडकिया जी जाति माली निवासीगण तेखडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
13. शाहनवाज आत्मज अब्दुल वहीद जाति मुसलमान निवासी एक मीनार की मस्जिद के पास छावनी, कोटा ।
14. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामकिशन वर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 01.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 08.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया किया कि ग्राम तेखडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में कुल 04 किता की 0.47 हैक्टर भूमि स्थित है जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । उक्त भूमि माफी चाकरी टीडाटाल की थी जो वादीगण के पूर्वज श्री रामनारायण जी को माफी में दी गई थी । संवत् 2015 में हुए सेटलमेंट के बाद उक्त भूमि को गैर खातेदारी में दर्ज किया गया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है । माफी रिज्यूम हो जाने के बाद माफीदार माफी की भूमि के स्वतः ही खातेदार बन गये हैं क्योंकि माफी रिज्यूम होने से पूर्व तथा माफी रिज्यूम होने के समय और बाद में रामनारायण जी उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहे हैं और वे उक्त भूमि के खातेदार थे । राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदार शब्द लिख दिया गया है । रामनारायण जी के 05 पुत्र थे जिनमे प्रतिवादी क्रम 08 मोहनलाल के अलावा सभी पुत्रों का स्वर्गवास हो गया है। उक्त भूमि के अतिरिक्त रामनारायण जी के खाते में ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा की कुल 39 बीघा 08 बिस्वा स्थित थी । रामनारायण जी ने अपने जीवनकाल में पारिवारिक समझौता करके ग्राम बोरखण्डी एवं ग्राम तेखडा की भूमि अलग–अलग अपने पुत्रों को दे दी । ग्राम तेखडा की आराजी खसरा नम्बर 316, 319, 320 व 322 कुल चार किता की 0.43 हैक्टर भूमि वादीगण के दादा श्री माधव लाल उर्फ माधोलाल के हिस्से में आई । ग्राम बोरखण्डी में शेष भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 88 रकबा 0.12 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 90 रकबा 0.84 हैक्टर कुल 02 किता की 0.96 हैक्टर आराजी बची थी जो केवल मात्र वादीगण के हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि है किन्तु उक्त भूमि को सभी अन्य खातेदारान के नाम दर्ज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । पारिवारिक समझौते से किये गये बंटवारे के बाद ग्राम बोरखण्डी की आराजी खसरा नम्बर 28 की 22 बीघा भूमि में से 11 बीघा भूमि श्री खेमराज ने दिनांक 27.11.69 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र श्री रामलाल जी सेठी को विक्रय कर दी । इसी प्रकार मोहनलाल जी ने ग्राम बोरखण्डी स्थित उक्त खसरा नम्बर 28 की शेष 11 बीघा भूमि पन्ना लाल लश्करी को दिनांक 07.07.1971 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से बेचान कर दी । इसी प्रकार जगन्नाथ ने ग्राम बोरखण्डी की आराजी खसरा नम्बर 24 की 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि दिनांक 28.11.1967 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र सरदार जगरूप सिंह को विक्रय कर दी । बोरखण्डी में केवल मात्र वादीगण का ही हिस्सा शेष रहा है जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । ग्राम तेखडा स्थित वादग्रस्त आराजी रामनारायण जी के खातेदारी की भूमि है किन्तु सेटलमेंट विभाग ने राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज करते हुए गैर खातेदार शब्द लिख दिया है । प्रतिवादीगण क्रम 09 से 13 ने वादग्रस्त आराजी के पास मकानात बना रखे हैं । सभी ने नाजायत गिरोह बना रखा है और वे ताकत के बल पर वादीगण की वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

3. अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम तेखडा की भूमि पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा खेमराज, जगन्नाथ, गोपाल प्रसाद, मोहन लाल तथा उनके वारिसान प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदार शब्द हटाया जाकर खातेदार काश्तकार लिखा जावे । ग्राम बोरखण्डी की आराजी पर वादीगण को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे खेमराज, जगन्नाथ, गोपाल प्रसाद, मोहनलाल एवं उनके वारिसान प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे । प्रतिवादीगण क्रम 09 से 13 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त

आराजी से वादीगण को बेदखल नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवोदीगण करें और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी क्रम 11 एवं 12 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.03.2017 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.03.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना ही वादीगण का वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त केतागण को पक्षकार नहीं बनाने एवं गुलाब बाई बेवा गोपाल प्रसाद को वाद में पक्षकार नहीं बनाया जाना मानकर तथा उसे आवश्यक पक्षकार होना मानकर दावा वादीगण अपीलान्ट निरस्त कर दिया । गुलाब बाई की दावा दायरी के पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है स्वर्गीय खेमराज, जगन्नाथ एवं श्री मोहन लाल द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि विक्रय कर दी है । इस कारण रामनारायण जी की दोनों ग्रामों की भूमि में से उनका हिस्सा समाप्त हो गया है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में अभी भी उनका नाम दर्ज चला आ रहा है जो त्रुटिपूर्ण है । ग्राम तेखडा स्थित वादग्रस्त आराजी रामनारायण जी के खातेदारी की भूमि थी किन्तु सेटलमेंट ने राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज करते हुए गैर खातेदार शब्द लिख दिया है जबकि वास्तव में गैर खातेदार न होकर खातेदार है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.03.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गुलाब बाई को पक्षकार नहीं बनाये जाने एवं आवश्यक पक्षकार होना मानकर दावा खारिज करने में त्रुटि की है । यदि न्यायालय किसी को वाद में आवश्यक पक्षकार समझता है तो वह उसे पक्षकार बनाने का निर्देश दे सकता है और निर्देशों की पालना नहीं करने पर ही वाद को निरस्त किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया और दावा खारिज किया है । वैसे भी गुलाब बाई का वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही स्वर्गवास हो गया था इस कारण उसे पक्षकार नहीं बनाया गया गोपाल एवं गुलाब बाई लाऔलाद फौत हुए है । ग्राम तेखडा स्थित आराजी पर अपीलान्ट वादीगण काबिज काश्त हैं । यह आराजी माफी चाकरी टीड्डीटाल की थी जो अपीलान्ट के पूर्वज श्री रामनारायण जी को माफी में मिली थी । सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत रूप से इस आराजी को गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया गया है। माफी रिज्यूम हो जाने के बाद माफीदार माफी की भूमि के स्वतः ही खातेदार बन गये क्योंकि माफी रिज्यूम होने से पूर्व तथा माफी रिज्यूम होने के समय और बाद में भी रामनारायण जी उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहे हैं । इस प्रकार कानूनन रामनारायण जी उक्त भूमि के खातेदार थे परन्तु गलत रूप से गैर खातेदार अंकित किया गया । माधव लाल एवं रविन्द्र कुमार दोनों का स्वर्गवास हो गया है ।

वादीगण माधव लाल के वैध उत्तराधिकारी है । रामनारायण उर्फ रामनाथ जी के 05 पुत्र थे जिनमें से प्रतिवादी क्रम 08 मोहन लाल के अलावा सभी पुत्रों का स्वर्गवास हो चुका है उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं होने से उनका हिस्सा समाप्त हो चुका है । रामनारायण जी के खाते में बोरखण्डी में भी कुल 39 बीघा 08 बिस्वा आराजी स्थित थी । रामनारायण जी ने अपने जीवन काल में पारिवारिक समझौता करके ग्राम बोरखण्डी एवं ग्राम तेखडा की भूमि अलग–अलग अपने पुत्रों को दे दी थी जिसके अनुसार ग्राम बोरखण्डी स्थित खसरा नम्बर 70 की व खसरा नम्बर 70/200 की भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 88 रकबा 0.12 हैक्टर व खसरा नम्बर 90 रकबा 0.84 हैक्टर है, अपीलान्ट के दादा श्री माधव लाल के हिस्से में तथा इसके साथ ही ग्राम तेखडा की आराजी खसरा नम्बर 316, 319, 320 एवं 322 कुल 04 किता की 0.43 हैक्टर भूमि उनके हिस्से में आई थी जिस पर अपीलान्ट काबिज काश्त है । बोरखण्डी में शेष आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 0.12 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 90 की रकबा 0.84 हैक्टर कुल 02 किता की 0.96 हैक्टर आराजी बची है जो केवल अपीलान्ट के हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि है किन्तु उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में भी सभी अन्य खातेदारों के नाम दर्ज कर रखे हैं जो त्रुटिपूर्ण दर्ज किये गये हैं । पारिवारिक समझौते के अनुसार ग्राम बोरखण्डी की आराजी खसरा नम्बर 28 रकबा 22 बीघा भूमि में से 11 बीघा भूमि खेमराज ने दिनांक 27.11.69 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र श्री रामलाल जी सेठी को बेचान कर दी । इसी प्रकार मोहन लाल ने ग्राम बोरखण्डी की आराजी खसरा नम्बर 28 की शेष 11 बीघा भूमि पन्ना लाल लश्करी को दिनांक 07.07.1972 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर दी । इसी प्रकार जगन्नाथ जी ने खसरा नम्बर 24 की 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि दिनांक 28.11.67 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र सरदार जगरूप सिंह को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर दी । इस प्रकार ग्राम बोरखण्डी में कवेल अपीलान्ट का हिस्सा शेष रहा है जिस पर अपीलान्ट काबिज काश्त है । स्वर्गीय खेमराज, जगन्नाथ एवं श्री मोहनलाल द्वारा अपने हिस्से से भी अधिक भूमि विक्रय कर दी है इस कारण रामनारायण जी की दोनों ग्रामों की भूमि में से उनका हिस्सा समाप्त हो गया है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में अभी भी उनका नाम दर्ज चला आ रहा है । साथ ही ग्राम तेखडा की वादग्रस्त आराजी जो कि रामनारायण जी के खातेदारी की भूमि थी किन्तु सेटलमेंट विभाग ने त्रुटिपूर्ण रूप से गैर खातेदारी में दर्ज कर दी जिसे खातेदारी में दर्ज किया जाना आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निर्णय पारित किया है । राजस्थान भू राजस्व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के अनुसार ग्राम तेखडा की आराजी में खातेदार अधिकार प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.03.2017 अपास्त किया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2017 (1) पेज 310, आरआरडी 1983 पेज 578, आरआरटी 2015 पेज 868 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट क्रम 09 के लायक अधिवक्ता ने अपील अपीलान्ट स्वीकार करने में अनापत्ति जाहिर की ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल विक्रय पत्र दिनांक 27.11.69, नकल विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1972 और नकल विक्रय पत्र दिनांक 28.11.67 संलग्न हैं इसके अलावा माधोलाल की मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलिपि पत्रावली पर पेश की गई है । नकल जमाबन्दी संवत् 2009 ग्राम तेखडा प्रदर्श– 1 पत्रावली पर संलग्न है जिसमें ग्राम तेखडा की वादग्रस्त आराजी माफी चाकरी टीड्डीटाल और खातेदार के कॉलम में रामनारायण अंकित

है। नकल जमाबन्दी संवत् 2032 –35 के अनुसार ग्राम तेखडा की आराजी माधव लाल, खेमराज, जगन्नाथ, गोपाल प्रसाद, मोहनलाल बेटे रामनारायण के गैर खातेदारी में दर्ज है । प्रदर्श– 3 मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति है । नकल जमाबन्दी संवत् 2058–61 प्रदर्श– 4 के अनुसार ग्राम तेखडा की कुल 04 किता की 0.43 हैक्टर भूमि माधवलाल, खेमराज, जगन्नाथ, गोपाल प्रसाद, मोहन लाल पुत्र रामनारायण के गैर खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श– 5 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 04 किता की 39 बीघा 08 बिस्वा आराजी रामनारायण वल्द श्यामनाथ के खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श– 6 के अनुसार ग्राम बोरखण्डी की कुल 02 किता की 0.96 हैक्टर आराजी माधव लाल, खेमराज, जगन्नाथ, मोहनलाल पिसरान रामनारायण मु0 गुलाब बाई बेवा गोपाल प्रसाद के संयुक्त खाते में दर्ज है जिस पर नामान्तकरण संख्या 259 का नोट अंकित है। इसके अलावा संवत् 2066–69 ग्राम तेखडा की नकल जमाबन्दी संलग्न है ।

11. वादी की ओर से बयान नरेन्द्र कुमार पीडब्ल्यू–1 कराये गये हैं ।

12. प्रतिवादी की ओर से बयान डीडब्ल्यू–1 हरिओम डीडब्ल्यू– 2 कराये गये हैं ।

13. ग्राम बोरखण्डी की 0.96 हैक्टर आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा यह कथन किया जा रहा है कि पारिवारिक समझौते के अनुसार आराजी का विभाजन किया गया था और इस पारिवारिक विभाजन के अनुसार ही खेमराज, जगन्नाथ और मोहन लाल ने आराजी का विक्रय किया था परन्तु इस आशय का कोई पारिवारिक समझौता पत्रावली पर संलग्न नहीं है । अपीलान्ट के द्वारा यह भी कथन किया गया है कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गोपाल प्रसाद की विधवा गुलाब बाई की मृत्यु दावा दायरी के दिनांक से पूर्व हो चुकी है और गोपाल प्रसाद लाऔलाद फौत हुए हैं परन्तु गुलाब का मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली पर संलग्न नहीं किया गया और न ही इस आशय की कोई रिपोर्ट पत्रावली में सलग्न है कि गोपाल प्रसाद लाऔलाद फौत हुए हैं । ऐसी स्थिति में इस प्रकारण में कोई निर्णय पारित किये जाने से पूर्व यह जॉच किया जाना आवश्यक है कि गोपाल प्रसाद के कोई औलाद मौजूद है अथवा नहीं । साथ ही गुलाब बाई की यदि मृत्यु हो चुकी है तो इस आशय का कोई साक्ष्य पेश किया जाना भी अनिवार्य है । साथ ही पक्षकारों के हिस्से तय करते समय यह देखा जाना भी आवश्यक है कि गोपाल प्रसाद का हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्राप्त करने के अधिकारी कौन हैं । पारिवारिक समझौते के अभाव में सहखातेदार हेमराज, जगन्नाथ एवं मोहनलाल ने ग्राम बोरखण्डी की आराजी में अपने हिस्से से अधिक का विक्रय करने के लिए अधिकृत नहीं थे । ऐसी स्थिति में उनके द्वारा किया गया विक्रय उनके हिस्से की सीमा तक ही वैध होगा और अधिक आराजी के लिए विक्रय वोइड होगा जिससे कि केता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगें । विक्रय पत्र दिनांक 27.11.69 की प्रमाणित प्रति के अनुसार खेमराज ने 11 बीघा आराजी रामलाल सेठी को बेचान की है और प्रकरण में रामलाल सेठी को पक्षकार नहीं बनाया गया है । विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1972 के अनुसार मोहन लाल के द्वारा पन्ना लाल लश्करी को बेचान की है और पन्ना लाल को भी इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है । इसी प्रकार विक्रय पत्र दिनांक 28.11.1967 के अनुसार जगन्नाथ ने खसरा नम्बर 24 की 11 बीघा 12 बिस्वा आराजी सरदार जगरूप सिंह को बेचान की है और जगरूप सिंह को भी इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि तीनों केता भी इस प्रकारण में आवश्यक पक्षकार हैं क्योंकि विक्रय सहखातेदारों के हिस्से की सीमा तक ही वैध है।

14. जहाँ तक ग्राम तेखडा की आराजी का पक्षकारों के गैर खातेदारी में दर्ज करने का प्रश्न है, वादग्रस्त आराजी माफी चाकरी टिड्डी टाल की है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 190 के अनुसार इस आराजी को गैर खातेदारी में ही दर्ज किया जा सकता है । धारा 193 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिला कलक्टर के द्वारा यह घोषणा किये जाने के उपरान्त कि ग्राम सेवक की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं और जिला कलक्टर के द्वारा धारा 193 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित कोई आदेश पत्रावली पर संलग्न नहीं है । ऐसी स्थिति में आराजी को गैर खातेदारी में विधिक रूप से दर्ज किया गया है ।

15. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पैरा संख्या 13 में किये गये विवेचन के अनुसार महत्वूपर्ण बिन्दुओं को नजरअन्दाज कर निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिकी दिनांक 08.03.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि गोपाल प्रसाद के विधिक वारिसों की जॉच करवायी जावे और यदि उनके विधिक वारिस मौजूद हो तो उन्हें पक्षकार बनाया जावे । गोपाल प्रसाद की विधवा गुलाब बाई की यदि मृत्यु हो चुकी है तो वादी अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में इसके समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य पेश करें । साथ ही ग्राम बोरखण्डी की आराजी में केतागण को भी पक्षकार बनाया जावे और गोपाल प्रसाद के यदि विधिक वारिस हो तो उन्हें भी पक्षकार बनाया जावे और उनको सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । यदि गोपाल प्रसाद के कोई औलाद न हो व गुलाब बाई की भी मृत्यु हो चुकी हो तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उनके हिस्से की अधिकार घोषणा की जावे । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

17. निर्णय आज दिनांक 01.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

1.10.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा